05-11-18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए अन्य पक्ष उप०। तहसीलदार, चूरू की ओर से मौका रिपोर्ट मय शपथ-पत्र मोहम्मद आमीन का पेश किया जो शामिल मिसल रहे। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, चूरू ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि भू-अ०नि० कस्बा चूरू से मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार रोही ग्राम कस्बा चूरू के खसरा नं० 169 संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि को 3-4 वर्ष पूर्व कृषि से अकृषि कार्य (समतलीकरण) लिया जा रहा था। जो मौके पर रोक दिया तत्कालीन समय में भूमि को अकृषि कार्य में लिया जाना प्रतीत हुआ, वर्तमान में उक्त कृषि भूमि पर कोई अकृषि कार्य में ~~लिया~~ नहीं ले रहे हैं। उक्त भूमि को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि की कृषि प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होना पाया गया है। मौका रिपोर्ट भू-अ०नि० कस्बा चूरू में भी यही तथ्य अंकित हैं। संलग्न शपथ पत्र मोहम्मद आमीन जो प्रतिवादी सं०1 एवं वादगत कृषि भूमि का खातेदार है, में अंकित है कि मेरे हिस्से की भूमि का समतलीकरण करवाया था उस पर किसी भी प्रकार का कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है ना ही भविष्य में कोई अकृषि कार्य करूंगा। उपरोक्तानुसार मौका रिपोर्ट मय भू-अ०नि० कस्बा चूरू की रिपोर्ट एवं शपथ पत्र प्रतिवादी सं०1 के अवलोकन से यह जाहिर है कि तत्कालीन समय में प्रतिवादी सं०1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का समतलीकरण करवाया गया था परन्तु उक्त समतलीकरण रोक दिया गया तथा खातेदार द्वारा उक्त भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग में लिया है। उक्त समतलीकरण से वादगत कृषि भूमि की कृषि प्रकृति को भी कोई हानि होना परिलक्षित नहीं है। इसलिए वादगत कृषि भूमि को अकृषि कार्य में नहीं लिया गया तथा ना ही

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अग्रिम कार्य नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण तत्कालीन समय में मात्र अनुमान के आधार पर पेश किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश दावा अन्तर्गत धारा 177 (83) (1) (5) RTA का मैं आगे कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। दावा वादी खारिज योग्य है। अतः दावा वादी इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील तरमीम दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू